<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या—04, आगरा।</u>

मु0अ0सं0—259 / 2025
धारा—7 / 13 उ0प्र0 सा0 परीक्षा अनु0 साधनों का निवारण अध्यादेश 2024।
थाना—एत्मादपुर, जिला आगरा।

<u>दिनांक—22.06.2026</u>

<u>आदेश</u>

अभियुक्त यशवन्त मीणा की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु0अ0सं0—259 / 2025 अंतर्गत धारा— 7 / 13 उ0प्र0 सा0 परीक्षा अनु0 साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा के मामले में अभियुक्त दिनांक 20.06.2026 से जिला कारागार, आगरा में निरुद्व है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वे विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है अभियुक्त उपरोक्त पर आरोपित अपराध गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

ह0 / —
(प्रगति सिंह—प्रथम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या—04, आगरा।